Australian Government
Department of Infrastructure, Transport,
Regional Development, Communications and the Arts

चर्चा प्रपत्र

सुलभ सार्वजनिक परिवहन के लिए अक्षमता मानदंड 2002 की 2022 की समीक्षा

दिसंबर 2022

परिचय

यह चर्चा प्रपत्र ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा 2022 में किए गए, सुलभ सार्वजनिक परिवहन के लिए अक्षमता मानदंडों (परिवहन मानदंडों) 2002 की समीक्षा (समीक्षा) में सहायक है। इस प्रपत्र में समझाया गया है कि यह परिवहन मानदंड क्या होते हैं और इनके पीछे क्या उद्देश्य होता है, पिछली समीक्षा से हमें क्या पता चला था और हम इन परिवहन मानदंडों की समीक्षा क्यों कर रहे हैं।

यह प्रपत्र इस समीक्षा के क्षेत्र की रूपरेखा बताता है, यह स्पष्ट करता है कि हम किस बारे में फीडबैक चाहते हैं, और परिवहन मानदंडों से आपको किस प्रकार सहायता मिलती है, इस बारे में आप अपनी बात कैसे कह सकते/ती हैं। इस समीक्षा के लिए अपनी बात कहने में सहायता के लिए आपको यह प्रपत्र पढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप 30 जून 2023 तक अपना फीडबैक दे दें।

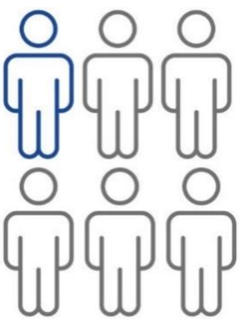

15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले, छः में से एक अक्षम व्यक्ति को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में कठिनाई होती है।[i]

सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करते समय अक्षम लोगों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उनमें निम्नांकित भी शामिल हो सकती हैं:

- स्टेशनों, स्टॉप्स और टर्मिनल्स में प्रवेश के लिए उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं
- उनकी आवश्यकताओं के अनुसार यथोचित सूचनाएँ मिलने में कठिनाई
- सार्वजनिक परिवहन साधनों में यात्रा की योजना बनाने और यात्रा पूरी करने में सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ।

सार्वजनिक परिवहन साधनों की सुलभता ऑस्ट्रेलियावासियों को समुदाय में भागीदार बनने का ज़रिया प्रदान करती है। परिवहन मानदंडों से, लोगों को काम पर जाने या अध्ययन करने जाने, परिवार, दोस्तों और अपने समुदाय से संपर्क रखने, और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँचने में सहायता मिलती है। जब एक अक्षम व्यक्ति के लिए उचित सुलभता उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो इससे भेदभाव पैदा हो सकता है।

परिवहन मानदंडों की भूमिका

अक्षमता भेदभाव अधिनियम 1992 (Disability Discrimination Act 1992) (DDA) में अक्षम लोगों के साथ भेदभाव को, जहाँ तक हो सके, समाप्त करने की कोशिश की गई है। सार्वजनिक परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे DDA कवर करता है।

DDA में परिवहन मानदंडों के बारे में कई धाराएँ शामिल की गई हैं। जो अक्षम लोगों के लिए समान सुलभता और अवसर के बारे में DDA के तहत और अधिक विस्तृत अधिकार प्रदान करती हैं।

DDA के अन्तर्गत निम्नांकित अक्षमता मानदंड बनाए गए हैं:

- सुलभ सार्वजनिक परिवहन के लिए अक्षमता मानदंड 2002 (परिवहन मानदंड)
- शिक्षा के लिए अक्षमता मानदंड 2005
- अक्षमता (परिसरो - भवनों में प्रवेश) मानदंड 2010.

इन परिवहन मानदंडों का उद्देश्य, सार्वजनिक परिवहन संचालकों और प्रदाताओं को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में से भेदभाव को समाप्त करने का सामर्थ्य प्रदान करना है। ये परिवहन मानदंड 23 अक्टूबर 2002 को लागू हुए थे।

ये परिवहन मानदंड जिन सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर लागू होते हैं उनमें बसें, कोचेज़, रेलगाड़ियाँ, ट्राम्स (लाइट रेल सहित), नौकाएँ, टैक्सियाँ, राइडशेयर और एअरलाइन्स शामिल हैं। बस अड्डों, रेल स्टेशनों, ट्राम और लाइट रेल के स्टॉप्स, नौका टर्मिनल और हवाई अड्डों सहित, सार्वजनिक परिवहन आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर भी लागू होते हैं।

ये मानदंड, DDA के तहत महाधिवक्ता (एटोर्नी-जनरल) द्वारा तय किए जाने वाले, कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम होते हैं। सार्वजनिक परिवहन संचालकों और प्रदाताओं के लिए इन मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होता है।

दिशा-निर्देश

इन परिवहन मानदंडों के लिए कुछ दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन भी दिए गए है। इन परिवहन मानदंडों को समझने के लिए यात्रियों, संचालकों और प्रदाताओं को सुलभ सार्वजनिक परिवहन के लिए अक्षमता मानदंड 2004 (परिवहन मानदंडों के लिए दिशा-निर्देशों) को ध्यान में रखना होगा।

परिवहन मानदंडों के लिए दिशा-निर्देश, कानून का फैडरल रजिस्टर (Federal Register of Legislation) वेबसाइट legislation.gov.au/Details/F2005B01059/Supporting%20Material%203/Text पर उपलब्ध हैं।

आधारभूत संरचना, परिवहन, क्षेत्रीय विकास, संचार तथा कला विभाग (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts) (इस विभाग) ने, यात्रियों की संपूर्ण यात्रा की सुलभता सुनिश्चित करने में सहायता के लिए इस मार्गदर्शन को प्रकाशित किया था । इस मार्गदर्शन दस्तावेज़ का शीर्षक है, द होल जर्नी (The Whole Journey): सार्वजनिक परिवहन में सुलभ यात्राओं की व्यवस्था करने के लिए, अनुपालन से आगे सोच-विचार करने के लिए एक दिशा-निर्देशिका द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide)।

द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide), इस विभाग की वेबसाइट: infrastructure.gov.au/infrastructure-transport-vehicles/transport-accessibility/whole-journey-guide पर उपलब्ध हैं।

शिकायत करना

यदि किसी को लगता है कि किसी सार्वजनिक परिवहन का संचालक या प्रदाता DDA या परिवहन मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है, तो वे ऑस्ट्रेलियन मानव अधिकार आयोग (AHRC) से शिकायत कर सकते हैं। AHRC भेदभाव की शिकायतों की जाँच और समाधान करता है। यदि इस प्रक्रिया में सफलता न मिले, तो वह व्यक्ति फैडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया (Federal Court of Australia) या फैडरल सर्किट कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया (Federal Circuit Court of Australia) में न्यायिक प्रक्रिया शुरु कर सकता है।

AHRC में शिकायतों के बारे में अधिक जानकारी AHRC की वेबसाइट humanrights.gov.au/complaints/make-complaint पर या राष्ट्रीय सूचना सेवा को 1300 656 419 या (02) 9284 9600 पर फोन करके प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा, AHRC द्वारा निम्नांकित संसाधन भी उपलब्ध करवाए गए हैं:

- शिकायत प्रक्रिया कैसे काम करती है उस बारे में Auslan की एक प्रस्तुति, humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/complaint-information-auslan पर उपलब्ध है।
- शिकायत करना तथ्य पत्रक का 63 भाषाओं में अनुवाद करवाया गया है और यह PDF और Word फॉर्मेट में humanrights.gov.au/about/translated-information?_ga=2.122582603.1552785458.1639964315-1107795329.1639964314 पर उपलब्ध है।

पिछली समीक्षाएँ

परिवहन मानदंडों की पर्याप्तता और प्रभावात्मकता की समीक्षा के लिए, हर पाँच साल बाद, आधारभूत संरचना, परिवहन, क्षेत्रीय विकास मंत्री (Minister for Infrastructure, Transport, Regional Development) और स्थानीय सरकार तथा महाधिवक्ता (एटोर्नी जनरल) के बीच विचार-विमर्श आवश्यक होता है।

पिछली समीक्षाओं में परिवहन मानदंडों की पर्याप्तता और प्रभावात्मकता पर असर डालने वाले प्रमुख अवरोधों की पहचान की गई थी, जिनमें निम्नांकित भी शामिल है:

- कुछ आवश्यकताओं की स्पष्टता की कमी और दूसरे मानदंडों या नियमों से तालमेल में कमी या भिन्नता
- निम्नांकित सहित, ऑस्ट्रेलियन समाज की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं पर चिन्तन करने की आवश्यकता:
  - यह सुनिश्चित करना कि परिवहन के नए और उभरते स्वरूपों और तकनिकियों को उचित समय पर अधिकृत किया जाए।
  - ऑस्ट्रेलिया के उन पुराने मानदंडों के संदर्भों पर पुनर्विचार करना, जो अप्रचलित हो गए हों, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही नहीं हो या ऑस्ट्रेलिया के मानदंडों के आधुनिक प्रारूप से जिनका तारतम्य न हो। (ऑस्ट्रेलियन मानदंड वो दस्तावेज़ हैं जो परिवहन मानदंडों में उल्लिखित हैं जिनमें डिज़ाइन का ब्यौरा, प्रक्रिया और दिशा-निर्देश शामिल है)।
  - कुछ नियमों की आदेशात्मक प्रवृति, जिसके कारण सार्वजनिक परिवहन संचालकों के लिए रचनात्मक उपायों को लागू करने की क्षमता सीमित होने की संभावना हो।

इन बाधाओं के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें:

- परिवहन मानदंडों के कुछ प्रावधानों से और अधिक बाधाएँ उत्पन्न हो जाएँ, या अक्षम लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में आने वाली बाधाओं को हटाया न जा सके।
- सार्वजनिक परिवहन संचालकों और प्रदाताओं के लिए परिवहन मानदंडों के कुछ निर्धारित नियमों का पालन करना अव्यवहारिक या असाध्य हो जाए।
- परिवहन मानदंडों के अनियमित परिणाम हों या उनको समझने में गलतियाँ हो जाएँ। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप अक्षम लोगों और सार्वजनिक परिवहन संचालकों और प्रदाताओं के लिए अतिरिक्त खर्चा करना पड़े।

इन मानदंडों का अनुपालन करना, सार्वजनिक परिवहन संचालकों और प्रदाताओं का उत्तरदायित्व होता है। परिवहन मानदंडों में बताई गई अनुपालन की निर्धारित तिथियों तक अनुपालन पूरा करने में जो कठिनाईयाँ आती हैं, उन्हें पिछली समीक्षाओं में स्वीकारा गया था। पिछली समीक्षाओं में दिए गए प्रस्तावों में कहा गया था कि इस बात कि संभावना नहीं है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ और आधारभूत संरचना, 31 दिसंबर 2022 तक 100 प्रतिशत मानदंडों को पूरा करने की स्थिति में पहुँच जाएँगी (रेलों, और ट्रामों को छोड़कर, जिनको 2032 तक, मानदंडों को पूरा करने की स्थिति में तक पहुँचने की आवश्यकता है)।

परिवहन मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करना एक कठिन काम होता है क्योंकि इन मानदंडों के बारे में, राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट करने की शर्तें नहीं है। परिवहन मानदंडों की पहले की जा चुकी समीक्षाओं में इस मुद्दे के बारे में चर्चा की गई है, और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से रिपोर्ट करने का एक खाका लागू करने के लिए, संभावित हलों का पता लगाया जा रहा है और भागीदारों के साथ मिलकर इन सामाधानों का परीक्षण भी किया जा रहा है।

परिवहन मानदंडों का आधुनिकिकीकरण

पिछली समीक्षाओं में की गई सिफारिशों और अन्य भागीदारों के फीडबैक पर ध्यान देने के लिए, सरकारों द्वारा, सुलभ सार्वजनिक परिवहन के लिए अक्षमता मानदंडों में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं (सुधार प्रक्रिया)।

अगस्त 2019 में, आधारभूत संरचना और परिवहन मंत्रियों में, यह सुनिश्चित करने के लिए परिवहन मानदंडों में सुधार पर सहमति हुई थी कि ये मानदंड पर्याप्त और प्रभावशाली बने रहें, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही हों, और ऑस्ट्रेलियन समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करें। इस सुधार प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक संवाद (कंसलटेशन) का दूसरा चरण, जो 54 क्षेत्रों में संभावित सुधार को कवर करता है, 9 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया है। 2023 के मध्य में, सुधारों की सिफारिश का एक निर्णय नियम प्रभाव वक्तव्य (Decision Regulation Impact Statement), आधारभूत संरचना और परिवहन मंत्री द्वारा विचार करने के लिए 2023 के मध्य में तैयार किया जाएगा। यह, इस सुधार प्रक्रिया के प्रथम चरण को आगे बढ़ाएगा, जिसमें मंत्रियों के बीच 16 क्षेत्रों में सुधार पर फरवरी 2022 में सहमति हुई थी।

आधुनिकिकीकरण के लिए इस सुधार प्रक्रिया के अपने लक्ष्य और मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, और यह इस समीक्षा से अलग है।

ऑस्ट्रेलिया सरकार इस बात को स्वीकारती है कि इस सुधार प्रक्रिया और इस समीक्षा के बीच संबंध है। इस सुधार प्रक्रिया के निष्कर्षों और फीडबैक को इस समीक्षा में समाहित किया जाएगा।

इस सुधार प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी, इस विभाग की वेबसाइट: infrastructure.gov.au/transport-accessibility पर उपलब्ध है ।

2022 की समीक्षा का क्षेत्र

हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि यह परिवर्तन मानदंड अपना काम कर रहे हैं या नहीं, और हम अक्षम लोगों, उनके परिवार और देखभालकर्ताओं, एडवोकेट्स, सार्वजनिक परिवहन संचालकों और प्रदाताओं तथा राज्य और टेरीटोरी सरकारों के दैनिक अनुभवों के बारे में जानना चाहते हैं।

इस समीक्षा का मुख्य मसला यह है कि इन परिवहन मानदंडों के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में अक्षम लोगों के लिए भेदभाव में कमी आ रही है या नहीं। जब हम आपके अनुभवों के बारे में सोचते हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आपकी चिंताओं पर वर्तमान सुधार प्रक्रिया के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। यदि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वर्तमान सुधारों में कवर नहीं होते हैं, तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं ताकि परिवहन मानदंडों में भावी परिवर्तनों के बारे में समझने में हमें सहायता मिले।

उद्देश्य और रूपरेखा (Terms of reference)

इस समीक्षा में परिवहन मानदंडों की पर्याप्तता और प्रभावात्मकता पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें निम्नांकित भी शामिल है:

1. क्या भेदभाव को, परिवहन मानदंडों के शेड्यूअल 1 में दी गई के अनुपालन की शर्तों के अनसुार, संभव हो उतना हटा दिया गया है।
2. परिवहन मानदंडों में आवश्यकतानुसार संशोधन।

इस समीक्षा में निम्नांकित पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा:

- जनता के विचारों का आकलन करना और उनकी रिपोर्टिंग करना
- सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में अक्षम लोगों के लिए भेदभाव को हटाने की तरफ प्रगति।
- परिवहन मानदंडों में, सुधार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
- सार्वजनिक परिवहन संचालक और प्रदाता द्वारा किए जाने वाले के अनुपालन का, परिवहन मानदंडों के शेड्यूअल 1 में दी गई शर्तों के अनसुार, परिवहन मानदंडों के शेड्यूअल 1 के भाग 4 में निश्चित की गई लक्ष्य तिथियों सहित, आकलन करना।

सरकारों को सलाह

इस समीक्षा में आपके फीडबैक से हमें यह आकलन करने में सहायता मिलेगी कि अक्षम लोगों के साथ भेदभाव में, इन परिवहन मानदंडों के कारण कमी आई है या नहीं।

यदि हमें यह पता चलता है कि ये परिवहन मानदंड उतने कारगर नहीं हैं, अथवा क्या किन्हीं विशेष क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है, तो हम इस बारे में सिफारिश करेंगे कि किस चीज को बदला जा सकता है. और कैसे बदला जा सकता है।

समीक्षा में की गई सिफारिशों को आगे बढ़ाने और लागू करने के लिए, अक्षम व्यक्तियों, ऑस्ट्रेलिया सरकार, राज्यों और टेरीटोरीज़ की सरकारों और सार्वजनिक परिवहन उद्योग के बीच सहयोगपूर्ण प्रक्रिया होना महत्वपूर्ण है। इससे संयुक्त कार्यवाही करने और भविष्य में परिवहन मानदंडों में किए जा सकने वाले संशोधनों की पहचान करने का अवसर मिलेगा।

इस समीक्षा की रिपोर्ट, 2023 के अंतिम महीनों में आधारभूत संरचना, परिवहन, क्षेत्रीय विकास मंत्री (Minister for Infrastructure, Transport, Regional Development) और स्थानीय सरकार तथा महाधिवक्ता (एटोर्नी जनरल) को भेजी जाएगी।

अपनी बात कहें

आप एक प्रस्ताव रखकर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर या सार्वजनिक संवाद में भाग लेकर अपनी बात कह सकते हैं।

इस समीक्षा में अपनी बात कहने में आपकी सहायता के लिए हमने निम्नाँकित प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना ज़रूरी नहीं है, ये प्रश्न, परिवहन मानदंडों के अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में आपके विचारों और अनुभवों को समझने में हमारी सहायता करने के लिए एक पथप्रदर्शक है। यदि आप अपने कोई अन्य अनुभव बताना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वो बताने के लिए भी आपको प्रोत्साहित किया जाता है।

उत्तर देते समय, कृपया हमें बताएँ कि, आप एक अक्षमता वाले व्यक्ति, अक्षम व्यक्ति के परिवार के सदस्य या देखभालकर्ता, अक्षमता या इंडस्ट्री एडवोकेट, सार्वजनिक परिवहन संचालक या प्रदाता, राज्य या टेरीटोरी भागीदार या अन्य हैं।

सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों के लिए प्रश्न

हम यह जानना चाहते हैं कि परिवहन मानदंडों के बारे में आपके क्या विचार हैं?

- क्या आप परिवहन मानदंडों के बारे में और उन्हें क्यों बनाया गया है इस बारे में जानते हैं? यदि हाँ, तो आपको परिवहन मानदंडों के बारे में कहाँ से पता चला था? क्या हमें परिवहन मानदंडों के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए? यदि हाँ, तो कैसे?
- आपके अनुसार, परिवहन मानदंडों के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवा में भेदभाव किस हद तक कम हुआ है?
- पिछले पाँच सालों में, क्या आपको सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में, अक्षमता वाले लोगों के लिए सुलभता और सुरक्षा में सुधार नज़र आए हैं? आपको कौनसे सुधार नज़र आए हैं?
- क्या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले, या उपयोग करने की इच्छा रखने वाले, अक्षम लोगों के लिए अब भी समस्याएँ मौजूद हैं? यदि हाँ, तो आपके अनुसार उन समस्याओं का हल निकालने के लिए परिवहन मानदंडों में क्या सुधार किया जा सकता है?
- क्या परिवहन मानदंडों को बदलने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आपके अनुसार उन समस्याओं का हल निकालने के लिए परिवहन मानदंडों में क्या सुधार किया जा सकता है?
- क्या आपको, परिवहन मानदंडों को समझने में, यात्रियों, संचालकों और प्रदाताओं की सहायता के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों के बारे में मालूम है? यदि हाँ, तो क्या वे आपको उपयोगी लगते हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

सार्वजनिक परिवहन की सुलभता और उपयोग के बारे में अपने अनुभव हमें बताएँ

- **अपनी यात्रा की योजना बनाना -** हमें यह बताएँ कि, सार्वजनिक परिवहन के मार्गों, समय-सारणियों, आवश्यकतानुसार कनेक्शनों के बारे में सूचना प्राप्त करने का आपका अनुभव कैसा है, और गंतव्य स्थान (डेस्टीनेशन) पर सूचना क्या उस स्वरूप में उपलब्ध है जो आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल है। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा की योजना बनाने में आपकी परिस्थितयों से कैसे असर पड़ता है?

- **सार्वजनिक परिवहन स्टॉप्स, स्टेशन्स या टर्मिनल्स** - सार्वजनिक परिवहन के स्टॉप्स, स्टेशनों, टर्मिनलों, घाटों, हवाई अड्डों तथा अन्य बोर्डिंग स्थलों पर, आपके पहुँचने से लेकर वाहन में चढ़ने तक के अपने अनुभव के बारे में हमें बताएँ। क्या आप चढ़ने और प्रतीक्षा करने के लिए अनुकूल और सुरक्षित स्थानों को आसानी से पहचान पाते हैं? क्या सूचना आपकी पसंद के अनुसार आसानी से उपलब्ध होती है?
- **सार्वजनिक परिवहन साधन में चढ़ने के बाद -** सार्वजनिक परिवहन वाहन में यात्रा करते समय आपको जो अनुभव हुए उनके बारे में हमें बताएँ। क्या आप अपने-आप, जल्दी से और बिना किसी परेशानी के चढ़ पाते हैं, और चढ़ने के बाद वाहन में क्या आपको सुरक्षित, निर्भय और आरामदायक अनुभव होता है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
- **आपकी यात्रा में रुकावट** - सार्वजनिक परिवहन के सामान्य संचालन में नियोजित और अनियोजित रुकावटों के अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएँ। जब रुकावटें आती हैं, तो आपके ऊपर इसका कैसे असर पड़ता है और आपको अपनी यात्रा को सुरक्षित और विश्वासपूर्ण तरीके से जारी करने के लिए आपको क्या-क्या चीजें सुनिश्चित करनी पड़ती हैं।
- **शिकायतें -** अगर आपको ऐसा लगता है कि सार्वजनिक परिवहन का कोई संचालक या प्रदाता अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहा है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपको यह मालूम है कि शिकायत कैसे की जाती है? यदि हाँ, तो अपने अनुभव के बारे में हमें बताएँ

सार्वजनिक परिवहन संचालकों और प्रदाताओं के लिए प्रश्न

हम यह जानना चाहते हैं कि इन मानदंडों के बारे में आपके क्या विचार हैं?

- क्या आप परिवहन मानदंडों के बारे में और उन्हें क्यों बनाया गया है इस बारे में जानते हैं? यदि हाँ, तो आपको परिवहन मानदंडों के बारे में कहाँ से पता चला था? क्या हमें परिवहन मानदंडों के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए? यदि हाँ, तो कैसे?
- क्या आप अक्षमता के प्रति जागरुकता या परिवहन मानदंडों के बारे में कोई प्रशिक्षण प्रदान करते हैं? इसमें क्या-क्या शामिल होता है?
- क्या आप सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से भेदभाव हटाने के बारे में अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं? अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने में आपको इन परिवहन मानदंडों से कैसे सहायता मिली?
- क्या आपके अनुसार, परिवहन मानदंडों के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवा में भेदभाव कम हुआ है? क्यों, या क्यों नहीं?
- क्या आपको, परिवहन मानदंडों को समझने में, यात्रियों, संचालकों और प्रदाताओं की सहायता के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों के बारे में मालूम है? क्या आप परिवहन मानदंडों को समझने में सहायता के लिए दिशा-निर्देशों का ध्यान रखते हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
- क्या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले, अक्षम लोगों के लिए अब भी समस्याएँ मौजूद हैं? यदि हाँ, तो आपके अनुसार इन समस्याओं का हल निकालने के लिए परिवहन मानदंडों में क्या सुधार किया जा सकता है?
- क्या इन परिवहन मानदंडों में यह अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है कि आप DDA के तहत बताई गई अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए इन समस्याओं पर ध्यान कैसे दे सकते हैं?
- क्या परिवहन मानदंडों को बदलने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आपके अनुसार उन समस्याओं का हल निकालने के लिए परिवहन मानदंडों में क्या सुधार किया जा सकता है?

सार्वजनिक परिवहन की सुलभता और उपयोग के बारे में लोगों के साथ हुए अपने अनुभव हमें बताएँ

- **यात्रा की योजना बनाना** - हमें यह बताएँ कि, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा की योजना बनाने में, अक्षमता वाले लोगों, उनके परिवार और देखभालकर्ताओं की सहायता करने का आपका अनुभव कैसा है? क्या इन परिवहन मानदंडों में, अक्षमता वाले लोगों की, सार्वजनिक परिवहन साधनों में यात्रा की योजना बनाने में सहायता के लिए, भेदभाव को हटाने में आपके संस्थान को समर्थ बनाने के बारे में पर्याप्त स्पष्टता है?
- **सार्वजनिक परिवहन स्टॉप्स, स्टेशन्स या टर्मिनल्स** - सार्वजनिक परिवहन के स्टॉप्स, स्टेशनों, टर्मिनलों, घाटों, हवाई अड्डों तथा अन्य बोर्डिंग स्थलों पर लोगों की सहायता करने के अपने अनुभव के बारे में हमें बताएँ। क्या इन परिवहन मानदंडों में, अक्षमता वाले लोगों के लिए, उनके आने और चढ़ने के लिए इंतज़ार करते समय, भेदभाव को हटाने में आपके संस्थान को समर्थ बनाने के बारे में पर्याप्त स्पष्टता है?
- **सार्वजनिक परिवहन साधन में चढ़ने के बाद** - हमें यह बताएँ कि, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान (एक वाहन में), अक्षमता वाले लोगों, उनके परिवार और देखभालकर्ताओं की सहायता करने का आपका अनुभव कैसा है? क्या इन परिवहन मानदंडों में, अक्षमता वाले लोगों की, सार्वजनिक परिवहन साधनों में यात्रा के दौरान सहायता के लिए, भेदभाव को हटाने में आपके संस्थान को समर्थ बनाने के बारे में पर्याप्त स्पष्टता है?
- **आपकी यात्रा में रुकावट** - सार्वजनिक परिवहन के सामान्य संचालन में नियोजित और अनियोजित रुकावटों के बारे में, अक्षमता वाले लोगों, उनके परिवार और देखभालकर्ताओं की सहायता करने के अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएँ। क्या इन परिवहन मानदंडों में, नियोजित और अनियोजित रुकावटों के दौरान, अक्षमता वाले लोगों के लिए, भेदभाव को हटाने में आपके संस्थान को समर्थ बनाने के बारे में पर्याप्त स्पष्टता है?
- **शिकायतें** - पिछले पाँच सालों में, क्या आपको यात्रियों से कोई ऐसी शिकायत मिली है जिसमें यह कहा गया हो कि आप परिवहन मानदंडों में बताई गई अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं? आपने उन चिंताओं पर ध्यान देने के लिए क्या किया?

परिवहन मानदंडों का अनुपालन

- जैसा कि परिवहन मानदंडों की आवश्यकताओं में बताया गया है (शेड्यूअल 1, भाग 4), समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का प्रतिशत और आधारभूत संरचना (पटरियों पर चलने वाले वाहनों के अलावा, जिनमें से 90 प्रतिशत का तैयार होना तय हुआ था) का, 31 दिसंबर 2022 तक परिवहन मानदंडों का अनुपालन करने के लिए तैयार होना आवश्यक है।
  - परिवहन मानदंडों के किस भाग का पालन करने में आपको कठिनाई आ रही है, और क्यों?
  - आपके संस्थान से सम्बद्ध प्रत्येक सार्वजनिक परिवहन संपत्ति के लिए, इन परिवहन मानदंडों की शर्तों का किस हद तक अनुपालन हुआ है इस बात के आकलन के लिए आधार के रूप में आप क्या संदर्भ बिंदु (गुणवत्ता या मात्रा के बारे में) बता सकते हैं?
  - पिछले पाँच सालों में, आपने अक्षमता वाले लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की सुलभता और सुरक्षा से संबंधित क्या-क्या सुधार किए हैं?
- 31 दिसंबर 2022 तक, आपके संस्थान की सार्वजनिक परिवहन की संपत्तियाँ परिवहन मानदंडों की शर्तों का अनुपालन करने के लिए किस हद तक तैयार हो चुकी हैं? कृपया अपने उत्तर में आपके संस्थान से सम्बद्ध सभी संपत्तियों के बारे में बताएँ।

नीचे दी गई सारणी से आपको उत्तर देने में सहायता मिल सकती है। यह जानकारी प्रदान करने का आपका तरीका फ्लैक्सिबल (स्थिति के अनुरूप) हो सकता है और जानकारी इस तरह से दी जा सकती है जो आपके संस्थान के लिए उचित हो (उदाहरण के लिए आप वर्तमान में अनुपालन सूचना की निगरानी कैसे करते हैं और संपत्तियों का विवरण कैसे देते हैं)। यदि आप मात्रा से संबंधित आकड़े नहीं बता सकते/ती हैं तो कृपया अनुमान व्यक्त करें ताकि हमारा विशलेषण हो सके उतना पूर्ण हो।

संपत्ति	DSPAT के अनुपालन का %, (ध्यान दें कि इसमें इस संपत्ति से संबंधित सभी भाग शामिल होने वाहिए)	यदि अनुपालन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो कृपया DSPAT के उन क्षेत्रों के बारे में बताएँ जिन्हें अनुपालन के लिए तैयार करने में चुनौतियाँ आ रही हैं।	सहायक टिप्पणियाँ और अनुपालन न होने के कारण
उदाहरण बसें/ प्लेटफॉर्म्स/ देखे जा सकने वाले प्रदर्शन (विज़ुअल डिस्प्लेज़) आदि	*80%*	*हैंडरेल्स और लाइटिंग से संबंधित भाग*	*हैंडरेल्स और लाइटिंग से संबंधित भाग में अनुपालन के लिए कठिनाई आ रही है क्योंकि......* *इन भागों में अनुपालन का काम xx... तक पूरा हो जाएगा* *ऐसी स्थिति में जब xxx उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है वहाँ समानांतर एक्सस का प्रयोग होता है*

कृपया उन्हीं संपत्तियों को सूची-बद्ध करें जो केवल आपके संस्थान से संबंधित हैं और प्रत्येक संपत्ति का, आप जिन तथ्यों के आधार पर प्रत्येक संपत्ति को परिभाषित करेंगे उनके सहित, उसी तरह से विवरण दें जैसे वो आपसे संबंधित है। इसमें परिवहन का प्रकार (जैसे कि बसें, रेलें, नौकाएँ आदि), आधारभूत संरचना के हिस्से (जैसे कि प्लेटफॉर्म्स या बस स्टॉप्स) या सूचना से संबंधित व्यवस्था (जैसे कि सूचना का प्रदर्शन, संचार) हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप ट्रेन स्टेशनों को एक ऐसी संपत्ति मान सकते हैं जिसमें स्पर्शनीय ज़मीनी सतह संकेतक (टेक्टिकल ग्राउंड सर्फेस इंडिकेटर्स), एक्सस पथ, श्रवण संवर्धन (हियरिंग आग्मेनटेशन) आदि शामिल होते हैं।

एक प्रस्ताव रखना (सब्मीशन जमा कराना)

आप निम्नांकित तरीकों से समीक्षा का जवाब दे सकते हैं और अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं:

- लिखित में, या वीडियो या ऑडियो रिकार्डिंग को DisabilityTransport@infrastructure.gov.au पर ईमेल करके
- 1800 621 372 पर टेलिफोन द्वारा (निःशुल्क कॉल)
- इस पते पर पत्र भेजकर:

Director

Disability and Transport Standards

Land Transport Policy
Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts
GPO Box 594
Canberra ACT 2601

- 2023 में इस विभाग की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से, या
- 2023 में एक जन संवाद आयोजन में जाकर। जन संवाद आयोजनों के बारे में अधिक जानकारी 2023 के प्रारंभिक महीनों में उपलब्ध हो जाएगी। आप जन संवाद आयोजनों के बारे में नवीनतम जानकारी पाने के लिए DisabilityTransport@infrastructure.gov.au पर ईमेल करके अपना विवरण दर्ज करवा सकते हैं।

हम चाहते हैं कि आप 30 जून 2023 तक अपना फीडबैक दें।

संपर्क विवरण

इस समीक्षा के बारे में, इस प्रपत्र सहित, पूछताछ के लिए, कृपया इस विभाग से DisabilityTransport@infrastructure.gov.au पर संपर्क करें।

[i] ऑस्ट्रेलिया सरकार, ऑस्ट्रेलियन स्वास्थ्य और कल्याण संस्थान, ऑस्ट्रेलिया में अक्षम व्यक्ति 2020, 15 नवंबर 2021, https://www.aihw.gov.au/getmedia/ee5ee3c2-152d-4b5f-9901-71d483b47f03/aihw-dis-72.pdf.aspx?inline=true